



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 09.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/23 धारा 147/323/504/506
/353 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.03.2023 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अमीनगर सराय के गंज मौहल्ले में प्रथम पक्ष के 1.श्यामसुन्दर, 2.सुनील, 3.सुभाष पुत्रगण बाबूराम निवासीगण मौहल्ला गंज करबा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर तथा दूसरे पक्ष के 1.दीपक, 2.रवि, 3.सनी, 4.लोकेश पुत्रगण



रामनिवास निवासीगण मौहल्ला गंज करबा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर आदि श्यामसुन्दर की गाडी का अगला शीशा तोडने को लेकर एक दूसरे को गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा आपस में मारपीट कर रहे हैं । थाना सिंघावली अहीर पुलिस मौके पर पहुंची और शांति-व्यवस्था कायम करने लगी तो ये लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 65/23 धारा 147/323/504/506/353 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 65/23 धारा 147/323/504/506/353 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-श्यामसुन्दर पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला गंज कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-सुनील पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला गंज कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-दीपक पुत्र रामनिवास निवासी मौहल्ला गंज कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महेशचन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है०का० 429 सिंहराज नागर थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का० 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर ।
- 4-का० 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनाँक – 09.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/23 धारा 323/308/504/506
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 08.03.2023 को थाना छपरौली पर वादी श्री अंकित पुत्र प्रेमपाल निवासी कस्बा व थाना छपरौली ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.मोहित व अन्य 02 लडके निवासीगण कस्बा व थाना छपरौली द्वारा वादी व उसके भतीजे सन्नी के



साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट की गई जिससे वादी अंकित गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 59/23 धारा 323/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/23 धारा 323/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-वरुण कुमार उर्फ मोन्टी पुत्र सुभाष निवासी पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-अतुल पुत्र देवेन्द्र निवासी पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री ब्रजेश पोनिया थाना छपरौली बागपत ।

2- है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली बागपत ।

3- है0का0 351 पवन कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

